

विभाजन करवाने का आदेश जारी है

प्रकरण में प्रतिवादी नं. 17 के प्राथम अ-आदेश 9 नियम 7 एवं 151 CPC प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्राथम के आवलोकन के द्वारा प्राथी द्वारा जताये गये कारण की पुष्टि में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्राथम खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### आदेश

प्राथी/प्रति. नं. 17 द्वारा प्रस्तुत प्राथम अ-आदेश 9 नियम 7 के द्वारा 151 CPC का खारिज किया जाता है। प्राथम स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिप्टी इस आदेश की दी जाती है कि ग्राम टीटनवाड़ के ग्रामि ख. नं. 617, 884 जिला-2 कुल रकबा 3-06 अंश एवं ख. नं. 885, 886, 887, 888, 889, 892, 893 1436/893, 1437/893 जिला-9 कुल रकबा 3-06 अंश का वादीगण एवं प्रतिवादी गण के मध्य शास्त्रस्य रिणार्ड में दफा हिस्सा एवं कब्जा के अनुकार शास्त्रे का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन क्रिये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाड़ी उग्रयपेशों की उपास्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा मय नक्शा के दो प्रतिमा में स्थामालय हाजा में प्रस्तुत करे।

पभावली फौसल खुम्बर होकर नम्बर के काम हो तथा बाह लकमीला दारिवेला रूपतर हो।

निर्णय द्वारा दिनांक 7.6.18 को जेम्प कोर्ट टीटनवाड़ में सुनवाया गया।

प्रमाणित अधिकारी  
विभाजन अधिकारी